कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संख्याः 3205 /ई–निविदा–बाढ़/2021–22 दिनांक 9 जुलाई 2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद अम्बेडकरनगर में बाढ़ आपदा राहत कार्य के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों हेतु निम्न विवरण के अनुसार इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के राहत सामग्री आपूर्ति किये जाने ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा प्रपत्र शुल्क 500.00 रूपये एवं सिक्योरिटी मनी 2.00 लाख रूपये का डी0डी0 जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के पक्ष में देय होगी, संलग्न करनी होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार (05 व्यक्ति औसत)हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री बोरा/ पैकेट/डिब्बा में व्यवस्थित कर खाद्य सामग्री दो अलग–2 गत्ते के पैकेट बनाये जायेंगे। पैकेज की साइज, ऊचाई 35 सेमी0, लम्बाई 48 सेमी0 एवं चौड़ाई 30 सेमी होगी। जिस पर बाहर की तरफ पैकेट पर अन्दर रखी जिस पर बाहर की तरफ पैकेट पर अन्दर रखी हुई खाद्य सामग्री एवं उसकी मात्र अंकित की जायेगी। पैकेट के एक तरफ उ0प्र0 शासन का मोनोग्राम एवं मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार की फोटो तथा दूसरी तरफ पैकेट में रखी गयी बाढ़ राहत समग्री का विवरण एवं मात्रा अंकित किया जायेगा। **प्रथम पैकेट में निम्न राहत सामग्री रखी जायेगी**–लाई 05 किग्रा0 (2.5 किग्रा0 के 2 पैकेट),भूना चना 02 किग्रा0, गुड़ 01 किग्रा0 (प्लास्टिक पैक में) बिस्कुट 10 पैकेट, माचिस 01 पैकेट, मोमबत्ती 01 पैकेट, नहाने का साबुन 02, **द्वितीय पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगी**– 10 किग्रा0 आटा, 10 किग्रा0 चावल, 02 किग्रा0 अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 01 लीटर रिफान्ड तेल, उक्त के अतिरिक्त, 10 किग्रा0 आलू जालीदार पैकेट में अलग से, क्लोरीन की 100 गोली अलग से तथा 05 लीटर केरोसीन तेल अलग से वितरित किया जायेगा।

खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति ई–टेण्डरिंग के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु रजिस्टर्ड इकाईयों/संस्थाओं को आमत्रित किया जाता है। दिनांक 12.7.202से दिनांक 16.7.2021तक अपरान्ह 4.00 बजे तक प्रतिभाग किया जा सकता है। दिनांक 17.7.2021 को प्रातः 11.00 बजे ई–निविदा खोली जायेगी।

निविदा की नियम एवं शर्तेः–

01– ई–निविदा प्रपत्र up etender.nic.in प्रणाली के अनुसार वांछित है। टेक्निकल बिड के समस्त वांछित धरोहर राशि सीलबन्द रहेगी तथा फाइनेन्शियल बिड में मांगी गयी सामग्रियों की दर बी0ओ0क्यू0 में कोट करना आनिवार्य होगा। सीलबन्द लिफाफा जिलाधिकारी के नाम से प्रेषित होगा, जिसमें प्रेषक के रूप में निविदा दाता का नाम, पता व मोबाइल नम्बर अंकित हो। टेक्निकल बिड में जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र, उद्योग विभाग का प्रमाण पत्र, एफ0एस0एस0ए0आई0 प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। पहले टेक्निकल बिड खोला जायेगा तथा कोई भी अभिलेख कम होने पर फाइनेन्शियल बिड नहीं खोला जायेगा।

02– समस्त ई–निविदांये दिनांक 12.7.2021 से 16.7.2021 तक दोपहर 4.00 बजे तक पड़ जानी चाहिए। बिना सीलबन्द एवं देर से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही माननीय न्यायालय के परिधि के बाहर होगा।

03– निविदादाता की फर्म का GST एवं आयकर पंजीकरण होना अनिवार्य है साथ ही निविदादाता को राज्यकर विभाग (GST) का नवीनतम अद्येता प्रमाण–पत्र जो तीन माह की अवधि से अधिक पुराना न हो, प्रस्तुत करना होगा तथा विगत तीन वर्षो की आई0टी0आर0 प्रस्तुत करना होगा।

04 निविदादाता फर्म का विगत चार वर्षों(2017–18 से 2020–21) में से किसी तीन वर्ष में बाढ/सूखा आपदा में खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

05– निविदादाता फर्म का विगत तीन वर्षों का(वर्ष 2018–19 से वर्ष 202–21 तक) बाढ़ सूखा में रू0 60.00 लाख प्रतिवर्ष का टर्नओवर होना चाहिए जिसके लिए ऑडिटर/चार्टर एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रमाणित लाभ हानि लेखा की प्रति लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि यह लाभ–हानि लेखा की प्रति बाढ़–सूखा से ही संबंधित है, तथा उक्त तीनों वर्षो का धनात्मक बैलेन्स शीट व धनात्मक लाभ–हानि लेखा की प्रति लगाना अनिवार्य होगा।

06– ई–निविदा प्रपत्र शुल्क 500.00 रूपये एवं सिक्योरिटी मनी 2.00 लाख रूपये का डी0डी0 जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर के पक्ष में देय होगी, संलग्न करनी होगी।

07– ई–निविदा खुलते समय समस्त सामग्रियों का नमूना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसी फर्में जो राहत सामग्री का नमूना नहीं उपलब्ध करायेगी उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

08– जिलाधिकारी को किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी निविदादाता का कोई भी प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा। निविदा मामले में उत्पन्न किसी भी विवाद पर जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

09– निविदा खोले जाने वाली तिथि के दिन यदि कोई राजकीय अवकाश पड़ता है अथवा राजकीय कार्यो की व्यस्तता के कारण निविदा नहीं खोले जाने की दशा में नयी तिथि से अवगत कराया जायेगा।

10– स्वीकृत निविदा की दरें निविदा स्वीकृत की तिथि से 31.3.2022 तक के लिए मान्य होगी। स्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि) तब तक बन्धक रहेगी जब तक कि समस्त सामानों की आपूर्ति नहीं हो जाती है। यदि निविदा दाता द्वारा स्वीकृत दरों पर आपूर्ति नहीं की जाती है तो धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

11– निविदा नियमों के अन्तर्गत आमंत्रित करने वाले, जो प्रथम पक्ष कहलायेगा तथा जिसकी निविदा नियमानुसार स्वीकृति होगी वह द्वितीय पक्ष कहलायेगा, दोनो पक्षों के बीच में रू0 100/–के स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध के पश्चात ही कोई कार्यवाही होगी।

12– निविदा शर्तों में शिथिलता दिये जाने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा।

13– प्रत्येक आइटम का टेण्डर रेट कोट करना अनिवार्य होगा।

14– बिल का भुगतान नियमानुसार समस्त करों की कटौतियों के उपरान्त किया जायेगा।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

<u>पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC) अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ कि वे ई–टेण्डरिंग की समस्त कार्यवाही समय से सम्पन्न कराये।

02– जिला पूर्ति अधिकारी अम्बेडकरनगर/अपर उपजिलाधिकारी अकबरपुर/वरिष्ठ कोषाधिकारी अम्बेडकरनगर/अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।

03– नाजिर सदर कलेक्ट्रेट अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।